न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/316
मिसल नम्बर– 25 / 2024

1.श्रीमती ममता बाई बेवा धनपाल आयु 39 वर्ष
2.अजय पुत्र स्व0 श्री धनपाल आयु 21 वर्ष जाति मोग्या बागड़ी निवासी दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा

अपीलान्ट

।

बनाम

1.लीला पत्नि सुरेश
2.संतोष पत्नि रमेश चंद जाति माली निवासीगण ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3.गिर्राज पुत्र मूलचंद जाति मोग्या बागड़ी निवासी माताजी का भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम डिलीट किया गया)
4.सुरेश पुत्र नामालूम जाति माली निवासी चौकी सहकारी कार्यालय माताजी का भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम डिलीट किया गया)
5.श्योजी पुत्र नामामूल व्यवसाय ब्रोकर निवासी माताजीका भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम डिलीट किया गया)
6.सरपंच ग्राम पंचायत मानसगांव पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा

रेस्पोडेन्ट्स।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत् अपील बनाराजगी ग्राम पचायंत मानसगांव नामान्तरण सं. 824 दिंनाक 05.07.2014।)

दिनांक 31/12/2025

उपस्थितः–
1.श्री सुनील महर्षि अभिभाषक अपीलान्ट।

अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत मानसगांव द्वारा दिनांक 05.07.2014 को रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 व 2 के नाम इन्तकाल संख्या 824 तस्दीक करने मे कानूनी त्रटि की है , जो निरस्तनीय है। अपीलाण्टा क्रम 1 ममता बाई काश्तकारी पेशा महिला है जिसके स्वर्गीय पति धनपाल के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 1074 रकबा 1.6200 हेक्टेयर , ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है । स्व0 श्री धनपाल की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि अपीलाण्टा क्रम 1 ममता , उसके पुत्र अपीलाण्ट क्रम 2 अजय व अन्य

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सहखातेदारान के नाम खाते बंधी थी। अपीलाण्ट् क्रम–1 के पति स्व0 श्री धनपाल के दो अन्य सगे भाई थें जिनमे से केवल मात्र एक जेठ रेस्पोडेन्ट क्रम 3 गिर्राज ही जीवित है। बाकि दो देवर सूरज्या व रामप्रसाद का भी देहान्त हो चुका है। अपीलाण्ट क्रम 1 के पति स्व0 धनाल की मृत्यू हो जाने व अन्य सगे भाईयो की भी मृत्यु हो जाने के उपरान्त समस्त भूमि रेस्पोड़ेन्ट क्रम 4 गिर्राज के आधिपत्य में हो गयी क्योंकि वे ही एक मात्र जीवित पुरूष परिवार मे रह गया था । व परिवार का कर्ताधर्ता गिर्राज रेस्पोडेन्ट क्रम 3 बन गया। गिर्राज के मन मे बदयान्ति आने लग गई तथा उसने अपीलाण्टा क्रम 1 से कहा कि जमीन को बैंक मे रहन रख दिया है व किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है यह कहकर उसने अपीलाण्टा क्रम 1 से खाली कागजो पर अगुँठा निशानी करवा लिये उस समय अपीलाण्टा क्रम 2 नाबालिग था। रेस्पोडेन्ट क्रम 3 ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2, 4, को बैचान करदी जिसकी जानकारी अपीलाण्टा को नही करवाई गई। अपीलाण्ट क्रम 1 अपने जेठ रेस्पोन्डेन्ट क्रम 3 पर विश्वास करके चुपचाप बैठी रही कि उसे रेस्पोडेन्ट क्रम 3 किसान क्रेडिट कार्ड की रकम व उसके हिस्से की जमीन की उपज की रकम दे देगा । किन्तु अधिक समय बीत जाने पर भी रेस्पोडेन्ट क्रम 3 द्वारा उक्त राशि न देने पर अपीलाण्ट को संशय हुआ तो उसनें अपने अधिवक्ता के मार्फत जमीन के खाते की नकले प्राप्त करने की दरखास्त प्रस्तुत की। अपीलाण्टा को दिनांक 24.09.2024 को ज्ञात हुआ कि उसके खाते की भूमि का बैचान नामा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष मे कर दिया गया है । तथा इंतकाल भी उनके पक्ष मे दिनांक 05.07.2014 को तस्दीक कर दिया गया है। इस पर अपीलाण्टा ने इंतकाल की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.09.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो अर्जेन्ट मे उसें दिनांक 24.09.2024 को प्राप्त हो गया। उक्त इन्तकाल व बैचान नामा अपीलाण्टा के विरूद्ध सर्वथा बैअसर , व प्रभावशुन्य है , क्योंकि उक्त इन्तकाल बनावटी व फर्जी है । इन्तकाल की तिथि दिनांक 05.07.2014 से जानकारी की तिथी दिनांक 24.09.2024 की अवधि कन्डोन किये जाने योग्य है जिसके बाबत् अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत मानसगांव रेस्पोडेन्ट क्रम 6 ने बिना जाँच किये व बिना अपीलाण्ट के बयान लिये ही इन्तकाल नम्बर 824 तस्दीक कर दिया है जो अवैधानिक है व निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 का यह दायित्व है कि वे इन्तकाल संख्या 824 व बैचान नामा सिविल कोर्ट से साबित करावें व उसकी सत्यता प्रमाणित करवाये। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम मानसगांव द्वारा तस्दीक किये गये इंतकाल नं0 824 दिनांक 05.07.2014 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट को शामिल करके विधि अनुसार पुनः इंतकाल तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान करे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण रेस्पोंडेंट नं0 1, 2, 6 के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं रेस्पोडेंट नं0 3, 4, 5 का नाम डिलीट किया गया।

अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से दौराने बहस अपील में किये गये कथनों को दोहराया। अभिभाषक की ओर से अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. Magniram V/s Smt. Kanku Bai & ors. Revision No. 58/Chittorgarh of 2003, decided on 24th August 2005:- Panchayat is not empowered to attest disputed mutation in view of Section 135 (1), L.R. Act- order is totally wrong- order fo attestion of mutation No. 231 by G.P., order of S.D.O., dt. 15.7.2002 and that fo Addl. Divisional Commissioner, dt. 13.6.2003 set aside.
2. Yadram Brahman V/s Ravindra Kumar Brahman & ors. Revision no. 866/Bharatpur of 2008 decided on 4th september 2015:- Gram panchayat not issued any notice to 'R'-Gram panchayat had no jurisdiction in respect of disputed mutation.

हमने अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। यह अपील नामान्तकरण 824 दिनांक 05.07.2014 के विरूद्व दिंनाकः 25.09.2024 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की गई हैं। अपील अन्दर मियाद नहीं हैं किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1, 2, 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। विलम्ब के सम्बंध में बताये कारणों को ध्यान में रखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

नामान्तकरण विक्रय पत्र का होने से विवादित की श्रेणी में नही आता है तथा अधिनियम की धारा 135(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को अविवादित नामान्तकरण को प्रथम 45 दिन तक स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार होने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। वादीगण का कथन है कि खाली कागजो पर अंगूठा निशानी करवाकर भूमि का बेचान कर दिया गया। विवेचन से स्पष्ट है कि इंतकाल दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नही रही है और ना ही वादीगण द्वारा इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया में किसी तथ्यात्मक त्रुटि का उल्लेख किया है। बल्कि वादीगण द्वारा स्वीकार किया है कि उनके खाते की भूमि का बेचाननामा प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ग्राम रामराजपुरा में स्थित विवादित आराजी खसरा नं0 1074 रकबा 1.62 है0 सम्पूर्ण भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2014 के माध्यम से रेपोडेन्ट कम 1 व 2 के पक्ष में किया गया है एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 824 दिनांक 05.07.2014 तस्दीक किया गया है। चूंकि यह अपील नामांतकरण 824 दिनांक 05.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त नामांतकरण मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2014 की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय पत्र का नामांतकरण स्वीकृत किया गया है। इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अपील में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय से नही दिया जा सकता है। प्रकरण कें अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाण्ट का मूल आक्षेप बेचाननामा निष्पादन की प्रकिया पर है जिस पर वादीगण सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण संख्या 824 दिंनाकः 05.07.2014 के विरूद्व प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिंनाकः 31/12/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा